



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. ३३६० /अका./वि.प.स्थायी समिति/2015

रायपुर, दिनांक: २२ / ०४ / २०१५

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 16.04.2015 अपराह्ण 4.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
4.	डॉ. भगवंत सिंह	—	सदस्य
5.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
6.	डॉ. सी.डी. अगासे	—	सदस्य
7.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
8.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	—	सदस्य
9.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	—	सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
- निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के समुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादूर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली, जिला- महासमुन्द्र	सीट वृद्धि B.Sc. Computer Sc. (पूर्व सीट संख्या – 15)	05 सीट वृद्धि	2014–15	निरीक्षण तिथि :– 12.02.2015 पत्र क्र. 1999 / अका./2014 दिनांक 26.11.2014 के अनुक्रम में महाविद्यालय की सीट वृद्धि के लिये सम्बद्धता निरीक्षण दिनांक 12.02.2015 को किया गया और पाया कि :–	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
महाविद्यालय का स्थापना वर्ष – 1971–72 शासन का आदेश पु. क्र. 3–79 / 2014 / 38–1 दिनांक 13.08.2014 महाविद्यालय का आवेदन तिथि – 31.10.2014						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>4. लाइसेन्सड सापटवेयर के अंतर्गत Windows XP, Vista तथा MS Office के Single User licence है। Multiple User licence की आवश्यकता है।</p> <p>5. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुरूप 426 पुस्तकें उपलब्ध हैं। पाठ्यक्रम के अनुरूप और 10000 रुपये की पुस्तकों की क्रय किया जाना चाहिये।</p>	
2.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर, ज़िला—गरियाबंद	B.A. -II - Hindi, English (F.C.), Sociology, Political Sc., History	60	2014–15	<u>निरीक्षण तिथि :- 22.02.2015</u> विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 2400/अका./2015 दिनांक 09.01.2015 के पारिपालन में नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर में सत्र 2014–15 के लिए B.A. -II (60 seat) हिन्दी, अंग्रेजी (FC) समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, B.Com. -II (60 seat) सभी अनिवार्य विषय B.Sc. -II (60 seat) FC रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, सम्बद्धता हेतु दिनांक 22.02.2015 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार तथ्य पाये गये। 1. महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है। 2. महाविद्यालय का स्वयं का भवन नहीं है। महाविद्यालय शास. उ.मा.वि. के 10 कमरों में संचालित है, जिसमें 08 कमरों में अध्यापन एवं 01 कमरा में Lab तथा 01 कमरा में प्राचार्य व कार्यालय है। 3. शासन द्वारा 11 (प्राचार्य एवं शिक्षकों) तथा 05 गैर शैक्षणिक पद स्वीकृत है। 10 शिक्षकों में 03 नियमित तथा 07 अतिथि व्याख्याता है। 05 गैर शैक्षिक में 03 पद में कार्यरत हैं। 4. प्राचार्य के संलग्न पत्र द्वारा ग्रन्थागार में सभी विषयों के 692 पुस्तकें हैं। सभी कक्षा एवं विषय के छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
		B.Com.-II (Compulsory Subject)	60			
		B.Sc. -II F.C., Chemistry, Maths, Physics	60			
		महाविद्यालय का स्थापना वर्ष – 2013–14 शासन का आदेश पृ. क्र. 92/आउशि/योजना/2013 दिनांक 20.05.2013 महाविद्यालय का आवेदन तिथि – 06.12.2014				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>5. विज्ञान विषय के प्रायोगिक कार्य के लिए Lab तथा उपकरण है इसे छात्र एवं कक्षा के अनुपात में मंगाये जाने की आवश्यकता है।</p> <p>6. अधोसंरचना में स्कूल का फर्नीचर उपलब्ध है। महाविद्यालय में 02 Computer तथा 01 फोटोकापी मशीन है।</p>	

03. श्री रावतपुरा सरकार संस्थान द्वारा संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के तहत नियुक्ति हेतु प्रेषित पत्र के संबंध में विचार करना।

निर्णय : परिनियम 28 के तहत नियुक्ति सहायक प्राध्यापकों के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रस्तुत किया जावे।

04. शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद में एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र परीक्षा सत्र 2015–16 के लिए 15 सीट के स्थान पर 2 अतिरिक्त सीट के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद में एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र परीक्षा सत्र 2015–16 के लिए 15 सीट के स्थान पर 2 अतिरिक्त सीट में प्रवेश देने के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय शासन की अनुमति के साथ आवेदन करें।

05. एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 को अंगीकृत किये जाने के कारण बी.एड., एम.एड. एवं बी.पी.एड. अध्यादेश में संशोधन के अनुमोदन हेतु समन्वय समिति को प्रस्तुत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई. के रेगुलेशन के आधार पर द्विवर्षीय बी.एड., एम.एड. एवं बी.पी.एड. (सेमेस्टर पद्धति) पाठ्यक्रम के लिए निर्भित संशोधित अध्यादेश स्वीकृति हेतु समन्वय समिति भेजने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

06. विधि अध्यादेश में संशोधन के अनुमोदन हेतु समन्वय समिति को प्रस्तुत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विधि अध्यादेश में संशोधन की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

07. एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के अध्यादेश क्रमांक 88 के संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एम.बी.ए. पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 88 में प्रस्तावित अध्यादेश संशोधन का अनुमोदन किया गया।

08. श्री साईं कालेज, प्लॉट नंबर—286 / 1,286 / 2, 291 देउरझाल, नंदनी, दुर्ग (छ.ग.)—490096 को सत्र 2015–16 से बी.एड् एक यूनिट—50 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई के रेगुलेशन के अनुसार पुनः निरीक्षण किया जावे।

09. इंडियन कालेज ऑफ एजुकेशन, स्टेशन रोड महासमुंद को एन.सी.टी.ई. भोपाल द्वारा जारी Order for shifting of premises का पत्र क्र. WRC/QPW04626/723112 (shifting for premises)/215th/2015/131872 Date 24/26-02-2015 पर विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई के रेगुलेशन के अनुसार पुनः निरीक्षण किया जावे।

10. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर में Community College प्रोग्राम के अंतर्गत Diploma in Hospitality Management प्रारंभ करने की अनुमति पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर में Community College प्रोग्राम के अंतर्गत Diploma in Hospitality Management सत्र 2015–16 से प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई।

11. सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग में संचालित बी.एड्. पाठ्यक्रम बंद करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : महाविद्यालय द्वारा समस्त देनदारियों की जिम्मेदारी लेने के शर्त पर बी.एड्. पाठ्यक्रम बंद करने की अनुशंसा की गई।

12. एलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्मस एंड मैनेजमेंट, भिलाई में बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम की संचालन बंद करने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : महाविद्यालय द्वारा समस्त देनदारियों की जिम्मेदारी लेने के शर्त पर बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम बंद करने की अनुशंसा की गई।

13. महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल महाविद्यालय, रायपुर को शासन द्वारा 2011–12 से 2014–15 के मध्य स्वीकृत की गई सीट वृद्धि पर विचार करना।

निर्णय : आगामी एक वर्ष के भीतर भौतिक शास्त्र विषय में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के आधार पर शासन द्वारा पूर्व में 2011–12 से 2014–15 के मध्य स्वीकृत निम्नानुसार सीट वृद्धि के लिए अनुशंसा की जाती है –

कक्षा	पूर्व में अनुमोदित सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट
बी.काम. अनिवार्य विषय	60	60	120
बी.काम. कम्प्यूटर एप्लिकेशन	60	30	90
पी.जी.डी.सी.ए.	60	30	90

14. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन के कंडिका 3 के अनुसार अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हेतु संबंधित संस्थान/महाविद्यालय का निरीक्षण कराये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई. के आदेशानुसार किसी भी शिक्षा महाविद्यालय/संस्था के द्वारा पाठ्यक्रम नया विषय/सीट वृद्धि/पाठ्यक्रम बंद करने के लिये विश्वविद्यालय के निरीक्षण के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की जाएगी, इस अनापत्ति प्रमाण पत्र के निरीक्षण हेतु संबंधित संस्थान/महाविद्यालय को प्रोसेसिंग फीस के रूप में रु. 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) विश्वविद्यालय कोष में जमा करना होगा। यह शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

15. (A) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/एम.एड./मान्यता/2012/5746 रायपुर, दिनांक 11.12.2012 के अनुसार 31 जनवरी 2013 तक सभी एम.एड. महाविद्यालय को NAAC प्रत्यायन की अनिवार्यता की जानकारी।
(B) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड. संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी हेतु।

निर्णय : प्रस्तुत सूची में (A) एवं (B) के अंतर्गत वर्गीकृत महाविद्यालयों में वर्तमान व्यवस्था एवं एन.सी.टी.ई. के मापदण्ड पूरा करने के संबंध में एन.सी.टी.ई., एस.सी.ई.आर.टी. एवं महाविद्यालय को सूचना दी जावे।

16. शोध प्रबंध जमा करते समय शोध पत्र का प्रकाशन मान्य किये जाने मापदण्ड विषयक।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि अधिसूचना क्रमांक 2785/अका./शोध/2015 दिनांक 16.02.2015 के बिंदु क्र. 5 पर “अन्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्य शोध पत्रिकाओं की सूची, जिसे इस विश्वविद्यालय में स्तरीय शोध पत्र की सूची में शामिल किया जाना हो,” सूची अध्यक्ष अध्ययन मण्डल से प्राप्त कर संकायाध्यक्ष को अंतिम रूप से प्रस्तुत किया जावे। संकायाध्यक्ष द्वारा अनुशंसित सूची के अनुसार आगामी कार्यवाही किया जावे।

17. सत्र 2014–15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :—

1	अग्रसेन महाविद्यालय, धनोरा, जिला—दुर्ग
2	अलशम्स इंफोटेक कालेज, नगरी (सिहावा), जिला—धमतरी
3	नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा, जिला—राजनांदगांव
4	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान हॉलीडे रिसॉर्ट के पीछे, कुम्हारी, जिला—दुर्ग
5	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कुम्हारी, जिला—दुर्ग (2013–14 एवं 2014–15)
6	श्री रावतपुरा सरकार कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम—धनेली, पो.—माना, रायपुर
7	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेड़ा, अभनपुर, जिला—रायपुर (2013–14 एवं 2014–15)

निर्णय : पुनः परीक्षण किया जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णयः—

अधिसूचना क्रमांक 2785/अका./शोध/2015 दिनांक 16.02.2015 के पूर्व जमा की गई शोध प्रबंध के संदर्भ में DRC से अनुशासित प्रमाण पत्र के आधार पर प्रकाशित शोध-पत्र को मान्य करते हुए शोध-प्रबंध के मूल्यांकन की कार्यवाही की जाए।

पुराना अध्यादेश 45 पर यह लागू नहीं रहेगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3361 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2015
प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

रायपुर, दिनांक: 22/04/2015


उप कुलसचिव (अका.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/एम.एड./मान्यता /2012/5746 रायपुर, दिनांक 11.12.2012 के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध निम्नलिखित महाविद्यालयों को सूचना दी गई थी:-

1. प्राचार्य,
इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2. प्राचार्य,
घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय,
आर्य नगर, दुर्ग (छ.ग.)
3. प्राचार्य,
अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कॉलेज के सामने,
अंजोरा, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
4. प्राचार्य,
प्रगति कॉलेज, सेन्ट्रल एवेन्यू
चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
5. प्राचार्य,
शास. शिक्षा महाविद्यालय,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
6. प्राचार्य,
पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
7. प्राचार्य,
रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी,
जी.ई. रोड, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.)
8. प्राचार्य,
शिवा कॉलेज,
मैत्री नगर, सुपेला, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/एम.एड./मान्यता /2012/5746 रायपुर , दिनांक 11.12.2012 के अनुसार “राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और कियाविधि) विनियम 2009 के विनियम 8(5) के अनुसार—शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम चलाने वाले सभी संस्थाओं को 01 अप्रैल 2012 को या इससे पहले कम से कम घेड बी के रूप में प्रत्यायन प्राप्त करना होगा जिसके न किए जाने की स्थिति में संस्थाओं को प्रदान की गई शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम की मान्यता शैक्षणिक सत्र 2012–13 से समाप्त समझ ली जाएगी।”

इसके पश्चात् NCTE की वार्षिक कार्यसमिति की बैठक दिनांक 09 जुलाई 2012 में जिन संस्थाओं ने NAAC में प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लिया है उन संस्थाओं की

एम.एड. की मान्यता अभी समाप्त नहीं करने का निर्णय लिया है। अर्थात् यदि आपकी संस्था को NAAC से प्रत्यायन प्राप्त नहीं है या इसके हेतु आवेदन नहीं किया है तो NCTE आप के संस्था में संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त कर सकती है। उपरोक्त प्रावधान NCTE द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए बनाये गए हैं।

अतः यदि आपकी संस्था के द्वारा इस दिशा में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है तो NAAC बैंगलूरु प्रत्यायन के लिए 31 जनवरी 2013 के पहले आवेदन कर इसकी जानकारी परिषद् को देंगे।

तत्सम्बद्ध में विदित हो कि— पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों में NAAC प्रत्यायन की जानकारी निम्नलिखित हैः—

क्र.	महाविद्यालय का नाम	CGPA	ग्रेड	रिमार्क
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	2.62	B	
2.	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, ग्राम—जुनवानी, भिलाई नगर, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	2.59	B	
3.	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर—07, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	2.87	B	
4.	स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुड़को, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	2.7	B	
5.	भिलाई मैत्री कॉलेज, रिसाली सेक्ट, भिलाई, जि—दुर्ग (छ.ग.)	2.79	B	
6.	भारती इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी. मुक्ता नगर, पुलगाँव नाका बाई पास रोड दुर्ग (छ.ग.)	1.85	C	
7.	अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कॉलेज के सामने, अंजोरा, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	2.15	B	
8.	शिवा कॉलेज, मैत्री नगर, सुपेला, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	2.33	B	
9.	घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग (छ.ग.)	2.45	B	
10.	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	प्रक्रियाधीन	-	LOI 21.09.2013 भेजा
11.	रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, जी.ई. रोड, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.)	-	-	LOI 15.04.2015 भेजा।
12.	मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड एजुकेशन कोहका रोड कुरुद, भिलाई जिला—दुर्ग (छ.ग.)	-	-	LOI 21.03.2015 भेजा।
13.	प्रगति कॉलेज, सेन्ट्रल एवेन्यू चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)	-	-	LOI 30.01.2013 भेजा।
14.	शास. शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	-	-	

टीप:-

1. रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, जी.ई. रोड, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 15.04.2015 भेजा है।
2. मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड एजुकेशन कोहका रोड कुरुद, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 21.03.2015 भेजा है। NCTE भोपाल के पत्र दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recognized institution of M.Ed. Course"
3. पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 21.09.2013 भेजा है। महाविद्यालय की नैक प्रत्यायन प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही नैक प्रत्यायन टीम का निरीक्षण हेतु आने की संभावना है। NCTE भोपाल के पत्र क्रमांक WRC/APW03620/725006/NAAC/2013/110264 दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recognized institution of M.Ed. Course"
4. प्रगति कॉलेज, सेन्ट्रल एवेन्यू चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) के पत्रानुसार उसने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 30.01.2013 भेजा है। NCTE भोपाल के पत्र क्रमांक WRC/APW04590/725012/NAAC/2013/10274-75 दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of reorganized institution of M.Ed. Course"

तत्पश्चात् महाविद्यालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में W.P.(C) No. 1354 of 2014 द्वारा वाद प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"Considering the submission of learned counsel for the parties it would be proper to hear the matter at an early date and considering that 15th of August is the last date of admission, it would be open for the petitioner, on its own peril, admit the students provisionally."